भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1888
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

मवेशी नस्ल सुधार

1888. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश पशुपालक/दुग्ध उत्पादक असंगठित हैं जिससे उन्हें कठिनाई होती है;

(ख) क्या दूरदराज के क्षेत्रों से दूध एकत्र करना कठिन, महंगा और समय लगने वाला कार्य है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं क्योंकि दूध एक शीघ्र खराब होनी वाली वस्तु है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि हमारे पास विश्व के कतिपय सबसे अच्छी नस्लों के मवेशी होने के बावजूद, अधिकांश नस्लें कम उत्पादन देती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूध की गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए नस्ल सुधार, उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने, आपूर्ति श्रृंखला संचालन और संभार तंत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) उत्पादित दूध का लगभग 37% उत्पादक स्तर पर स्वयं उपभोग किया जाता है और शेष 67% (विपणन योग्य अधिशेष) दूध संगठित और असंगठित क्षेत्र को बिक्री के लिए उपलब्ध है। उत्पादित दूध के विपणन योग्य अधिशेष का 32% संगठित क्षेत्र द्वारा और 68%असंगठित क्षेत्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संगठित क्षेत्र के कवरेज का विस्तार करने के लिए**,** भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है।

(ख) परिसंघों/सहकारी समितियों/निजी संगठनों द्वारा इष्टतम दूध संग्रहण मार्गों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि डेयरी मूल्य श्रृंखला को सुधारा जा सके**,** जिससे दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलती है।

(ग) देसी गोपशुओं की उत्पादकता कम है क्योंकि पशुओं को कम इनपुट और कम आउटपुट आधार पर रखा जाता है। हालांकि, देश में बोवाइन पशुओं की उत्पादकता 1640 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 2072 किलोग्राम हो गई है। यह 26.34% की वृद्धि दर्शाती है, जो 13.97% के विश्व औसत की तुलना में काफी अधिक है। देश में गोपशु नस्ल सुधार के लिए डीएएचडी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

(i) कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम।
(ii) सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके 90% सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करने के लिए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम।
(iii) आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम।
(iv) सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन।
(v) देसी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की पहचान करने के लिए जीनोमिक चयन हेतु जीनोमिक चिप।
(vi) देसी नस्लों सहित एचजीएम बैलों के उत्पादन के लिए पीटी और पीएस कार्यक्रम और
(vii) किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग, राज्य सरकार द्वारा किए गए दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना संबंधी प्रयासों के अनुपूरित और संपूरित और प्रतिपूरित करके देश भर में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को लागू कर रहा है

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

1. एनपीडीडी का घटक "क" राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।
2. एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

(ii) डेयरी गतिविधियों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राज्य डेयरी सहकारी संघों को कार्यशील पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करना।

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध तथा मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार देशी नस्लों के विकास और संरक्षण तथा बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को क्रियान्वित कर रही है।

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): उद्यमितशीलता विकास और राज्य सरकार की नस्ल सुधार अवसंरचना हेतु व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियो को प्रोत्साहन प्रदान करके पॉल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर तीव्र ध्यान केंद्रित करना।

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम: महत्वपूर्ण पशु रोगों के लिए प्रोफाइलेक्टिक टीकाकरण प्रदान करने हेतु, पशु चिकित्सा सेवाओं हेतु क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने और डेयरी फार्मिंग से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

****